अध्याय- IV

योजना कार्यान्वयन

4.1 योजनाबद्ध एवं कार्यान्वित योजनाओं की स्थिति

कार्यक्रम का प्रभावी क्रियान्वयन, विश्वसनीय जल स्रोतों की पहचान, कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण एवं क्षमता निर्माण के माध्यम से स्थिरता सुनिश्चित करने जैसी प्रमुख रणनीतियों के इर्द-गिर्द केन्द्रित है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने परियोजनाओं को दो भागों में कार्यान्वित किया था अर्थात बहु ग्राम योजनाएं एवं एकल ग्राम योजनाएं। एकल ग्राम योजना की सौर ऊर्जा संचालित प्रणालियों को कार्यान्वयन के लिए छत्तीसगढ़ अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (क्रेडा) को सौंप दिया गया था, जबकि लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग उस प्रणाली की पाइपलाइन एवं कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन के भाग का कार्यान्वयन कर रहा था।

- एकल ग्राम योजना एक भूजल, झरना या सतही जल योजना है जिसमें पेयजल स्रोत का विकास/संवर्धन, एक जल शोधन संयंत्र, पंपिंग व्यवस्था, ओवरहेड टैंक एवं कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन तक वितरण नेटवर्क सम्मिलित है जिसका ग्राम पंचायत द्वारा नियोजन एवं प्रबंधन किया जाता है।

एक एकल ग्राम योजना का उसके घटकों सहित उदाहरण चित्र **चार्ट 4.1** में दिखाया गया है।

चार्टः 4.1: एकल ग्राम योजना के घटक

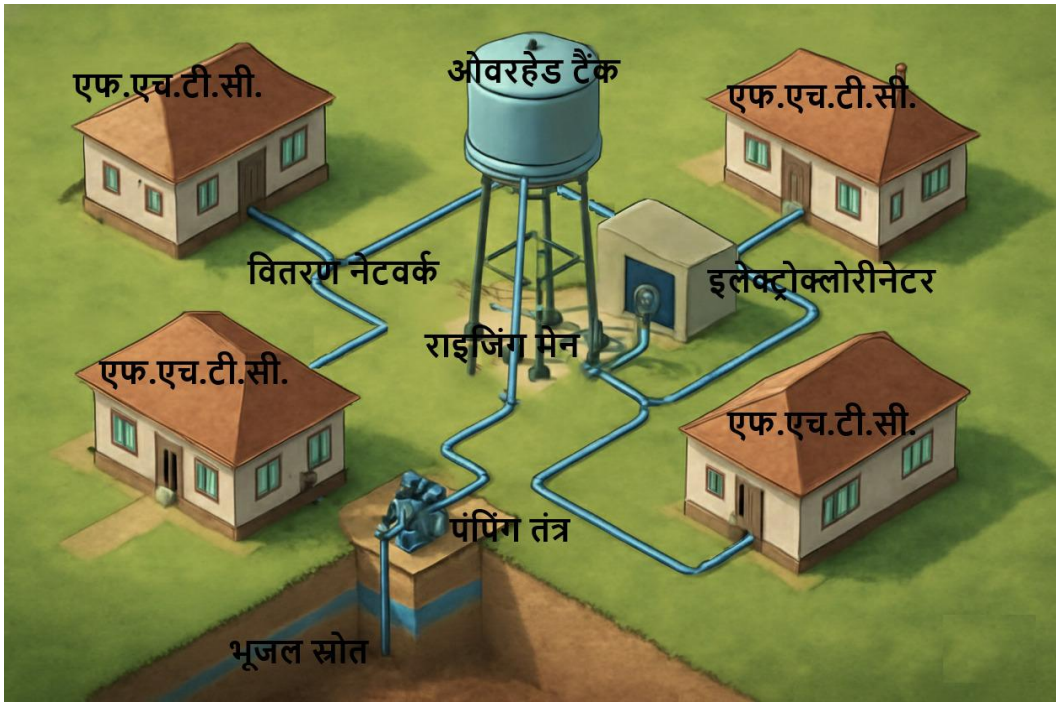

बहु ग्राम योजना एक भूजल अथवा सतही जल आधारित योजना है जो अनेक गांवों को सेवाएँ प्रदान करती है। इसमें दो भाग होते हैं, अर्थात ग्राम-अंतर्गत अवसंरचना[1] एवं ग्राम-बाह्य अवसंरचना[2]। ग्राम-अंतर्गत अवसंरचना में पंपिंग व्यवस्था, ओवरहेड टैंक एवं वितरण नेटवर्क जो एकल ग्राम योजना के समान कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन तक ले जाते हैं, शामिल है एवं ग्राम-बाह्य अवसंरचना के प्रमुख घटकों में कच्चे जल का स्त्रोत, कच्चे जल का भंडारण, प्रेषण प्रणाली, अवसंरचना प्रणाली, पंपिंग मशीनरी, संतुलन जलाशय एवं गाँव की सीमा तक वितरण प्रणाली शामिल है।

बहु ग्राम योजना के ग्राम-अंतर्गत एवं ग्राम-बाह्य अवसंरचना को लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गई थी। तथापि, बहु ग्राम योजना की ग्राम-बाह्य प्रणाली के मूलभूत ढांचे एवं मशीनरी का प्रबंधन, संचालन एवं अनुरक्षण लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा किया जाता है एवं बहु ग्राम योजना के ग्राम-अंतर्गत भाग प्रबंधन, संचालन एवं अनुसरण ग्राम पंचायत द्वारा किया जाता है। बहु ग्राम योजना जलापूर्ति प्रणाली को दर्शाने वाला एक प्रवाह चित्र **चार्ट 4.2** में दर्शाया गया है।

चार्ट 4.2: बहु ग्राम योजना के घटक

ग्राम-बाह्य अवसंरचना | **ग्राम-अंतर्गत अवसंरचना**

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, वर्ष 2019-20 से 2023-24 तक योजनाबद्ध एवं कार्यान्वित योजनाओं (रेट्रोफिटिंग, एकल ग्राम, बहु ग्राम, सौर) की स्थिति **तालिका 4.1** में विस्तृत है।

[1] ओवरहेड टैंक से व्यक्तिगत कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन को जल का वितरण।

[2] ग्राम सीमा तक जल एवं वितरण प्रणालियों का थोक हस्तांतरण।

तालिका 4.1: योजनाबद्ध एवं कार्यान्वित योजनाओं की स्थिति

वर्ष	योजनाबद्ध योजनाओं की संख्या					कार्यान्वयन के लिए ली गई योजनाओं की संख्या				
	रेट्रो	सोलर	एकल ग्राम योजना	बहु ग्राम योजना	कुल	रेट्रो	सोलर	एकल ग्राम योजना	बहु ग्राम योजना	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2019-20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020-21	1,212	3,705	301	0	5,218	977	2,903	286	0	4,166
2021-22	3,823	2,082	9,423	46	15,374	3,798	2,025	9,233	39	15,095
2022-23	116	1,701	6,551	31	8,399	115	1,643	6,489	31	8,278
2023-24	2	2	267	0	271	2	1	38	0	41
कुल	**5,153**	**7,490**	**16,542**	**77**	**29,262**	**4,892**	**6,572**	**16,046**	**70**	**27,580**

(स्रोतः विभाग द्वारा मई 2024 को उपलब्ध कराए गए आंकड़े)

जल जीवन मिशन के तहत नियोजित 29,262 योजनाओं में से केवल 27,580 योजनायें कार्यान्वयन के लिए लिया गया था, जिनमें से 172 योजनायें मार्च 2024 तक पूरी हो चुकी थीं।

योजनाओं के कार्यान्वयन पर लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर आगामी कंडिकाओं में चर्चा की गयी है।

4.2 एकल ग्राम योजनाओं का कार्यान्वयन

4.2.1 क्रेडा द्वारा सौर फोटोवोल्टिक पंप-आधारित जलापूर्ति योजनाओं का कार्यान्वयन

जल जीवन मिशन परिचालन दिशानिर्देशों की अनुच्छेद 3.5 में छत्तीसगढ़ के जनजातीय/पहाड़ी/वन क्षेत्रों में कम संचालन एवं अनुरक्षण व्यय वाली सौर ऊर्जा-आधारित जलापूर्ति योजनाओं के विकल्पों की पता लगाने का सुझाव दिया गया है। सौर फोटोवोल्टिक जल पंपिंग प्रणाली के कार्य का कार्यान्वयन क्रेडा के माध्यम से किया जा रहा था जो ऊर्जा के गैर-पारंपरिक एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के विकास एवं संवर्धन के लिए, राज्य सरकार की नोडल एजेंसी है।

सौर ऊर्जा-आधारित पाइप जलापूर्ति योजना के घटकों को दो भागों में विभाजित किया गया था अर्थात इस्पात संरचना पर जल टंकी की स्थापना तथा सोलर पैनलों सहित सौर डुअल पम्प प्रणाली की स्थापना। इन संरचनाओं एवं पंपों के पांच वर्षों तक निशुल्क संचालन एवं अनुरक्षण क्रेडा को सौंपा गया था। जबकि लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग जल स्रोतों के विकास, वितरण नेटवर्क बिछाने एवं कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन के निर्माण के लिए जिम्मेदार था।

सौर ऊर्जा-आधारित जलापूर्ति प्रणाली के अभिलेखों की नमूना जांच से निम्नलिखित तथ्य प्रकाश में आयें:

4.2.1.1 स्थापित प्रक्रियाओं एवं नियमों का पालन किए बिना कार्य कार्यान्वयन हेतु क्रेडा को अग्रिम दिया जाना

जल जीवन मिशन दिशानिर्देशों के अनुच्छेद 7.10 में कहा गया है कि भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई सहायता अनुदान से पर्यवेक्षण शुल्क प्रदान करने की अनुमति नहीं है। अनुच्छेद में आगे बताया गया है कि यदि भुगतान करना आवश्यक है, तो यह राज्य शासन का दायित्व होगा अर्थात् राज्य शासन द्वारा निधियों की अलग से व्यवस्था की जायेगी। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार, जल शक्ति मंत्रालय, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के पत्र (जून 2020) के अनुसार, जल जीवन मिशन के तहत किसी भी प्राधिकरण/कार्यालयों को कोई अग्रिम जारी नहीं किया जाना था। जल जीवन मिशन परिचालन दिशानिर्देशों के अध्याय 6 में एजेंसी को भुगतान से पूर्व कार्य के निरीक्षण हेतु तृतीय-पक्ष एजेंसी को संलग्न करना अनिवार्य किया गया था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि सौर आधारित पाइप द्वारा जल आपूर्ति योजना हेतु सौर पंपिंग प्रणाली की स्थापना के लिए जिला जल और स्वच्छता मिशन, ग्राम पंचायत एवं क्रेडा के बीच त्रिपक्षीय अनुबंध कार्यान्वित किया गया था, जिसके अनुसार लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा क्रेडा को लागत का 90 प्रतिशत अग्रिम भुगतान जारी किया जाना था। अनुबंध के अनुसार, कार्यपालन अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की देखरेख में क्रेडा द्वारा कार्य कार्यान्वित किया जाना था। क्रेडा द्वारा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को कार्य पूरा होने के 15 दिनों के भीतर पूर्णता प्रमाण पत्र एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि क्रेडा को 19,684 सौर पंप-आधारित प्रणालियों को कार्यान्वित करने के लिए वर्ष 2020 से 2023 (जून 2023 तक) के दौरान ₹ 1,816.83 करोड़ का अग्रिम प्रदान किया गया था। जून 2023 के पश्चात जल जीवन मिशन के अन्तर्गत स्थापित सौर पंपों की जानकारी क्रेडा द्वारा लेखापरीक्षा को प्रदान नहीं की गई थी। स्वीकृत अग्रिम के विरूद्ध, 4,112 योजनाओं हेतु राशि ₹ 557.52 करोड़ का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया था। क्रेडा को जारी किए गए अग्रिमों एवं निधियों के उपयोग का वर्षवार विवरण **तालिका 4.2** में उल्लिखित है।

तालिका 4.2: स्वीकृत सोलर फोटोवोल्टिक पंप सिस्टम का विवरण एवं क्रेडा को जारी निधि

(₹ करोड़ में)

वर्ष	स्वीकृत प्रणालियों की संख्या	जारी की गई धनराशि	स्थापित प्रणाली	उपयोग की गई धनराशि	शेष कार्य	जिन निधियों के लिए उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है	उपयोगिता प्रमाण पत्र	
							प्रस्तुत करने की तारीख	आच्छादित की गई अवधि
2020-21	3,288	365.00	2,882	398.33	2,016	155.81	12-05-2022	2020-22
2021-22	1,610	189.14						
2022-23	12,300	988.38	1230	159.19	13,086	985.00	21-09-2022	3/22 से 9/22
2023-24	2,486	274.31	लागू नहीं	लागू नहीं	15,572	1,259.31	प्रस्तुत नहीं किया गया	--
कुल	**19,684**	**1,816.83**	**4,112**	**557.52**	**15,572**	**1,259.31**	**--**	**--**

(स्रोतः मिशन संचालक, जल जीवन मिशन, छत्तीसगढ़, रायपुर से जून 2023 तक एकत्र की गई जानकारी)

लेखापरीक्षा के दौरान पाया कि क्रेडा द्वारा उपयोग की गयी निधि की निगरानी लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा नहीं की जा रही थी। क्रेडा ने वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 के दौरान 4,898 परियोजनाओं हेतु आवंटित, राशि ₹ 554.14 करोड़ के विरूद्ध अनुबंध दस्तावेज़ में निर्धारित प्रत्येक परियोजना को पूर्ण करने से पूर्व ही 2,882 परियोजनाओं के लिए राशि ₹ 398.33 का अपना पहला उपयोगिता प्रमाण पत्र मई 2022 में प्रस्तुत कर दिया था। यह पाया गया कि पिछली निधियों का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना क्रेडा को आगामी राशियाँ हस्तांतरण कर दी गयी थी। क्रेडा ने सितंबर 2022 के पश्चात उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया था तथापि इसके बाद वर्ष 2023-24 में ₹ 274.31 करोड़ रुपये क्रेडा को जारी किए गए थे। न तो 15,572 अधूरी परियोजनाओं की स्थिति एवं न ही ₹ 1,259.31 करोड़ के अग्रिम के उपयोगिता प्रमाण पत्र क्रेडा से प्राप्त किये गये थे।

निर्गम बैठक (मई 2025) के दौरान, सचिव, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने कहा कि क्रेडा राज्य सरकार की एक एजेंसी है एवं सहमत नियमों एवं शर्तों के आधार पर उन्हें काम सौंपा गया था। उपयोगिता प्रमाण पत्र को संभाग कार्यालयों में क्रेडा द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। यद्यपि, क्रेडा से अनुरोध किया गया है कि वह समेकित उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रबंध निदेशक, जल जीवन मिशन को प्रस्तुत करे।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि सौंपे गए कार्य के कार्यान्वयन में समयबद्धता सुनिश्चित करने के लिए कार्य की प्रगति एवं क्रेडा को जारी की गई निधियों के उपयोग की निगरानी नहीं की जा रही थी। तथापि, क्रेडा को अग्रिम जारी करने एवं क्रेडा के माध्यम से कार्यान्वित कार्यों पर तीसरे पक्ष के निरीक्षण का अनुपालन न करने पर कोई उत्तर नहीं दिया गया है।

4.2.1.2 क्रेडा को पर्यवेक्षण शुल्क

जल जीवन मिशन दिशानिर्देशों के अनुच्छेद 7.10 में उल्लेखित है कि पर्यवेक्षण शुल्क का भुगतान भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई सहायता अनुदान से अनुमत्य नहीं है। यदि भुगतान करना आवश्यक है, तो राज्य सरकार द्वारा धन की व्यवस्था अलग से की जानी चाहिए।

डुअल सौर पंपों के साथ सौर संरचना के लिए क्रेडा द्वारा दावा की गई इकाई दरों के विवरण की जांच के दौरान, यह पाया गया कि क्रेडा द्वारा सौर पंपों की इकाई लागत में ₹ 15,000 से ₹ 89,500 प्रति यूनिट की राशि दर से पर्यवेक्षण शुल्क जोड़े गए थे एवं सभी छह नमूना जांच किए गए जिले में 2,386 सौर आधारित डुअल पंप सिस्टम की स्थापना के लिए पर्यवेक्षण शुल्क के रूप में क्रेडा को ₹ 12.09 करोड़ का भुगतान 50:50 के अनुपात में जल जीवन मिशन निधि से किया गया था, जैसा कि **तालिका 4.3** में विस्तृत है।

तालिका 4.3: नमूना जांच किए गए जिलों में क्रेडा द्वारा लगाए गए पर्यवेक्षण शुल्क का विवरण

(₹ लाख में)

क्र. सं.	जिला	1 एचपी/ 1200 वाट/ 9 मीटर/ 10 किलोलीटर टैंक				1 एचपी/ 1200 वाट/ 12 मीटर/ 10 किलोलीटर टैंक				प्रणाली की कुल संख्या	पर्यवेक्षण शुल्क की कुल राशि
		पुरानी दर पर प्रणाली की संख्या	₹ 15000 की दर से पर्यवेक्षण शुल्क	नई दर पर प्रणाली की संख्या	₹ 62500 की दर से पर्यवेक्षण शुल्क	पुरानी दर पर प्रणाली की संख्या	₹ 17000 की दर से पर्यवेक्षण शुल्क	नई दर पर प्रणाली की संख्या	₹ 89500 की दर से पर्यवेक्षण शुल्क		
1	धमतरी	11	1.65	16	10.00	125	21.25	103	92.19	255	125.09
2	गोरेला-पेंड्रा-मरवाही	4	0.60	98	61.25	78	13.26	0	0.00	180	75.11
3	कोंडागांव	17	2.55	260	162.50	137	23.29	40	35.80	454	224.14
4	कोरबा	115	17.25	260	162.50	47	7.99	312	279.24	734	466.98
5	महासमुंद	0	0.00	15	9.38	25	4.25	3	2.69	43	16.31
6	सरगुजा	320	48.00	332	207.50	20	3.40	48	42.96	720	301.86
कुल		**467**	**70.05**	**981**	**613.13**	**432**	**73.44**	**506**	**452.88**	**2,386**	**1,209.50**

(स्रोतः विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़े एवं लेखापरीक्षा द्वारा संकलित)

शासन ने कहा (मई 2025) कि पर्यवेक्षण शुल्क के बारे में जानकारी क्रेडा से मांगी जा रही है। निर्गम बैठक (मई 2025) के दौरान, सचिव, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने कहा कि प्रकरण को क्रेडा के साथ उठाया जाएगा।

4.2.1.3 रेसीडूअल प्रेशर हेड को ध्यान में रखे बिना सौर फोटोवोल्टिक पंप से जलापूर्ति प्रणालियों का कार्यान्वयन

केंद्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं पर्यावरण अभियांत्रिकी संगठन नियमावली (अनुच्छेद 10.3.3 एवं 10.3.6) में कहा गया है कि सेवा जलाशय की ऊंचाई ऐसी होनी चाहिए जो वितरण प्रणाली में न्यूनतम 7 मीटर का रेसीडूअल प्रेशर उसकी लागत प्रभावशीलता के अनुरूप बनाए रखे। ओवरहेड सर्विस जलाशयों का स्टेजिंग वहन प्रणाली में कुल घर्षण हानियों के साथ सकारात्मक/नकारात्मक स्थिर स्तर के अंतर[3] के प्रभाव के साथ आवश्यक रेसीडूअल हेड आधार पर तय किया जाना चाहिए। वितरण प्रणाली में न्यूनतम एवं अधिकतम रेसीडूअल प्रेशर हेड की गणना की जानी चाहिए एवं उच्च सेवा जलाशयों की किफायती स्टेजिंग ऊंचाई निर्धारित करने के लिए नेटवर्क में प्रत्येक नोड पर रेसिडुअल प्रेशर हेड दिखाने वाले दबाव चार्ट के रूप में दिखाया जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा ने पाया कि सौर प्रणाली वाले एकल ग्राम योजना को आवश्यक रेसिडुअल हेड को बनाए रखने के लिए सौर पंप प्रणालियों की स्टेजिंग ऊंचाई को ज्ञात करने हेतु दबाव-चार्ट तैयार किए बिना कार्यान्वित किये जा रहे थे। क्रेडा द्वारा केवल दो विकल्प प्रदान किए गए थे यानी

[3] सर्विस जलाशय का भूतल स्तर (-)वितरण मुख्य लाइन का अधिकतम भूतल स्तर

9 मीटर स्टेजिंग एवं 12 मीटर स्टेजिंग, जिसमें से एक को लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा रेसीडूअल प्रेशर की आवश्यकताओं पर विचार किए बिना चुना गया था।

इस प्रकार, वितरण प्रणाली में रेसीडूअल प्रेशर एवं जल के दबाव के आधार पर प्रणाली की स्टेजिंग ऊंचाई के अनुकूलन के बिना सौर आधारित ओवरहेड टैंक संरचनाएं स्थापित की गईं थी।

इसे इंगित किए जाने पर, मिशन संचालक, जल जीवन मिशन ने कहा (मई 2024) कि 9 मीटर स्टेजिंग या 12 मीटर स्टेजिंग के सौर दोहरे पंप की स्थापना के लिए ड्राइंग डिजाइन लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग संभाग/क्रेडा द्वारा तैयार किया गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि नमूना जांच किए गए जिलों में से किसी में भी, पर्याप्त एवं उचित जलापूर्ति के लिए आर्थिक स्टेजिंग निर्धारित करने के लिए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में उपरोक्त तकनीकी पहलुओं को ध्यान में नहीं रखा गया था।

शासन ने उत्तर में बताया (मई 2025) कि प्रतिवेदन संबंधित जिलों से एकत्र की जा रही थी।

4.2.1.4 सौर फोटोवोल्टिक पंप जलापूर्ति प्रणालियों से जुड़े परिवारों को निर्धारित पेयजल की न्यूनतम सेवा स्तर नहीं मिलना

लेखापरीक्षा में पाया गया कि एकल ग्राम योजना के तहत, वितरण नेटवर्क के घटक एवं कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन की स्थापना जिला जल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा अनुबंधित किये गए ठेकेदारों द्वारा कार्यान्वित की गई थी, जबकि सौर आधारित प्रणाली के साथ ओवरहेड टैंक के घटक को क्रेडा द्वारा निर्मित किया गया था।

जल जीवन मिशन के अंतर्गत जलापूर्ति योजनाओं को 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की न्यूनतम निर्धारित जल मांग को पूरा करने हेतु जलहानि एवं अन्य घटकों सहित 65.19[4] लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन लेकर डिजाइन किया गया था, जिसमें प्रति परिवार पांच सदस्य औसत थीं, जबकि क्रेडा द्वारा उपयोग की जाने वाली सौर प्रणाली बाह्य परिस्थितियों में 17,052 लीटर प्रतिदिन के क्षमता[5] की थी।

चूंकि सौर पंप प्रणाली की जल पंपिंग क्षमता 17,052 लीटर प्रतिदिन थी, अतः यह 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की निर्धारित मात्रा में एक दिन में 53 परिवार[6] को जल की आपूर्ति कर सकती थी। यद्यपि, लेखापरीक्षा ने छह नमूना-जांच किए गए जिलों में पाया कि 310 जलापूर्ति योजनाओं में 429 सौर पंप प्रणाली 53 से अधिक परिवारों से जुड़े थे। प्रति सौर पंप सिस्टम प्रणाली से जुड़े कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन की संख्या 54 से 169 तक थी जैसा कि **तालिका 4.4** में विस्तृत है।

---

[4] 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन प्रदान करने क लिए छत्तीसगढ़ शासन जनवरी 2020 द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार, घरेलू उद्देश्य के लिए योजना की रुपरेखा के लिए प्रति व्यक्ति जलापूर्ति स्तर 65.19 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन (आग की मांग, संस्थागत मांग एवं अपव्यय सहित) के रूप में अपनाया गया है

[5] परीक्षण प्रतिवेदन सं. MRTCTP 151820221395 दिनांक 13.06.2022

[6] 17,052 लीटर/65.19 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन/5 व्यक्ति प्रति परिवार = 52.31~ 53 परिवार

तालिका 4.4: नमूना जांच किए गए जिलों में अतिरिक्त कनेक्शन के साथ सौर फोटोवोल्टिक पंप का विवरण

जिला	योजनाओं की संख्या	53 परिवारों से अधिक कनेक्शन वाले सोलर फोटोवोल्टिक प्रणाली की संख्या	प्रति सोलर फोटोवोल्टिक प्रणाली से जुड़े कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन की सीमा	कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन की संख्या	प्रभावित आबादी
धमतरी	37	38	54 से 125	2,519	12,595
गोरेला-पेंड्रा-मरवाही	78	79	54 से 107	5,694	28,470
कोरबा	127	214	54 से 169	13,701	68,505
कोंडागांव	35	59	56 से 147	4,327	21,635
महासमुंद	10	10	55 से 84	635	3,175
सरगुजा	23	29	54 से 145	2,108	10,540
कुल	**310**	**429**		**28,984**	**1,44,920**

(स्रोतः विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़े एवं लेखापरीक्षा द्वारा संकलित)

एक सौर प्रणाली की अधिकतम क्षमता से अधिक कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन की ओवरलोडिंग के कारण, 1.44 लाख आबादी को आच्छादित करने वाले परिवारों में स्थापित 28,984 कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन में प्रत्येक परिवार को 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की आपूर्ति के निर्धारित मानक सुनिश्चित नहीं किए जा सकते।

शासन (मई 2025) ने बताया कि प्रतिवेदन संबंधित जिलों से एकत्र की जा रही है।

4.2.1.5 सौर ऊर्जा आधारित योजनाओं में इलेक्ट्रो क्लोरिनेटर का प्रावधान न होना

जल जीवन मिशन परिचालन दिशानिर्देश (2019) के अनुच्छेद 6.1 में कहा गया है कि ग्राम अंतर्गत पाइप जलापूर्ति अवसंरचना में जल गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए जल उपचार संयंत्र सम्मिलित होंगे।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि सभी छह जांच किए गए जिलों में एकल ग्राम योजनाओं एवं रेट्रोफिटिंग योजनाओं में इलेक्ट्रो-क्लोरिनेटर का प्रावधान था जबकि सौर उर्जा आधारित योजनाओं में इसका प्रावधान नहीं रखा गया था जिससे ग्रामीण आबादी को सुरक्षित पेयजल से वंचित किया गया था। यह उल्लेख करना उचित है कि छत्तीसगढ के नमूना जांच किए गए छह जिलों में से पाँच[7] आंशिक रूप से फ्लोराइड, आयरन और/या नाइट्रेट संदूषण से प्रभावित हैं

4.3 बहु ग्राम योजनाओं का कार्यान्वयन

4.3.1 बहु ग्राम योजना की विलम्बित शुरुआत एवं प्रमुख घटकों का उन्मूलन

जल जीवन मिशन परिचालन दिशानिर्देश (2019) के अंतर्गत, बहु ग्राम योजना को पूरा करने के लिए अनुमत अधिकतम समय 36 महीने था एवं अनुबंध मार्च 2021 के बाद नहीं दिए जाने

[7] धमतरी, कोंडागांव, कोरबा, महासमुंद एवं सरगुजा

चाहिए थे जिसे भारत सरकार द्वारा दिसंबर 2021 तक बढ़ाया गया था। राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा 77 बहु ग्राम योजनाओं की योजना बनाई एवं वर्ष 2021-22 से 2022-23 के दौरान 70 योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। बहु ग्राम योजना कार्यों को अंततः जून 2023 से फरवरी 2024 के मध्य प्रदान किया गया।

इसी बीच, एकीकृत दर अनुसूची (जून 2022) में संशोधन के कारण, मदों की दरें (जैसे पॉलीविनाइल क्लोराइड, डक्टाइल आयरन एवं हाई-डेंसिटी पॉलीइथिलीन पाइप एवं सहायक उपकरणों) 12 से 62 प्रतिशत तक बढ़ गईं। परिणामस्वरूप, परियोजनाओं की लागत में वृद्धि हुई, लेकिन संशोधित प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त करने के बजाय राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन ने परियोजना की लागत को अनुमोदित लागत के भीतर नियंत्रित करने हेतु 70 बहु ग्राम योजनाओं के प्रशासनिक अनुमोदन में स्वीकृत प्रमुख घटकों को हटाने का निर्णय लिया। हटाये गए घटकों में प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल- सुपेरवाइजारी कंट्रोल एवं डाटा एक्सेस(पीएलसी-एससीएडीए) एवं बल्क मीटर, वाटर रेग्युलेटर आदि सम्मिलित थे। कुछ मामलों में लंबाई, व्यास एवं पाइप की सामग्री आदि जैसे विशिष्टियों में भी बदलाव किया गया था।

जल जीवन मिशन परिचालन दिशानिर्देश के अंतर्गत दबाव, जल की गुणवत्ता, प्रवाह दर आदि जैसे उपचार संयंत्रों के मापदंडों की निगरानी के लिए सुपेरवाइजारी कंट्रोल एवं डाटा एक्सेस को अनिवार्यतः अपनाया जाना अनिवार्य था, चूंकि जल को बहुत अधिक लागत पर लंबी दूरी से स्थानांतरित किया जाता है, अतः संचरण के दौरान जल के नुकसान की निगरानी करना आवश्यक था।

इस तरह महत्वपूर्ण घटक को हटाकर बहु ग्राम योजना में निगरानी दक्षता की दक्षता से समझौता किया।

निर्गम बैठक (मई 2025) के दौरान, सचिव, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने कहा कि वर्तमान में, मिशन अवधि को 2028 तक बढ़ा दिया गया है। राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन नई समय-सीमा के अनुसार बहु ग्राम योजना को पूरा करेगा।

4.3.2 अपेक्षित मात्रा में जल का आबंटन सुनिश्चित किये बिना बहु ग्राम योजना का क्रियान्वयन

पाइप जलापूर्ति योजनाओं की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए एक बहु ग्राम योजना के डिजाइन किए गए जीवन की अधिकतम अवधि तक के लिए सतही जल की उपलब्धता का आश्वासन आवश्यक है। लेखापरीक्षा ने आबंटन एवं उपलब्धता में महत्वपूर्ण कमियों को पाया जिसकी चर्चा नीचे की गई है :

i) **जल आबंटन में कमी:** लेखापरीक्षा ने छह बहु ग्राम योजनाओं में जल की मांग एवं आबंटन में कमी पायी। जल का आबंटन योजनाओं की आवश्यकता से कम था, जो लक्षित ग्रामीण क्षेत्रों में पेय जल की उपलब्धता को सीधे प्रभावित करता है। जल संसाधन विभाग इन योजनाओं में 16.363 मिलियन क्यूबिक मीटर की मांग के विरुद्ध 9.185 मिलियन क्यूबिक मीटर जल प्रदान करने में सक्षम था जैसा कि **परिशिष्ट 4.1** में

विस्तृत है। अलग-अलग बहु ग्राम योजनाओं में जल आबंटन में कमी 18 किलो लीटर प्रतिदिन से लेकर 17537 किलो लीटर प्रतिदिन तक थी।

ii) **जलाशयों में जल की अनुपलब्धता:** योजना चरण में, बहु ग्राम योजना को जलापूर्ति करने वाले जलनिकायों की भंडारण क्षमता का आकलन, योजना के लिए जल की स्थायी आपूर्ति हेतु महत्वपूर्ण था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि इन बहु ग्राम योजना से सम्बंधित टैंकों एवं जलाशयों में योजना से जुड़े सभी गांवों की जल आवश्यकता को पूरा करने हेतु आवश्यक क्षमता का अभाव था। पांच प्रकरणों में देखा गया कि टैंकों एवं जलाशयों में बहु ग्राम योजना की पूर्ति हेतु आवश्यक जल की मात्रा की कमी थी एवं यह कमी 37,000 किलो लीटर से 39,49,000 किलो लीटर के मध्य थी जैसा कि **परिशिष्ट 4.2** में वर्णित है।

इस प्रकार, जल के कम आवंटन एवं जल निकायों में जल की अनुपलब्धता के परिणामस्वरूप पेयजल के 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के न्यूनतम सेवा स्तर के मानदंड की पूर्ति नहीं हो सकती है, जिससे बहु ग्राम योजना की स्थिरता कम हो सकती है।

इसे इंगित किए जाने पर, सरकार ने सूचित किया (मई 2025) कि संबंधित जिलों से जानकारी एकत्र की जा रही थी।

4.3.3 बहु ग्राम योजना के ग्राम-अंतर्गत भाग के लिए अनावश्यक घटकों को सम्मिलित किया जाना

जल जीवन मिशन परिचालन दिशानिर्देश (2019) की अनुच्छेद 6.1 में बताया गया है कि ग्राम-अंतर्गत पाइप जलापूर्ति अवसंरचना में पंपिंग व्यवस्था, ओवरहेड टैंक/भूमिगत संप, जलापूर्ति के लिए पाइपलाइन, कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन तक वितरण नेटवर्क एवं आपूर्ति किए गए जल को मापने के लिए बल्क मीटर/सेंसर आधारित जल मीटर सम्मिलित होंगे।

धमतरी एवं महासमुंद जिलों में 124 गांवों को आच्छादित करने वाले तीन[8] बहु ग्राम योजनाओं के अभिलेखों की लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि इन योजनाओं को सतही जल के माध्यम से गुरुत्वाकर्षण आधारित वितरण के लिए डिजाइन किया गया था। इस प्रकार, इन बहु ग्राम योजना के ग्राम अंतर्गत बुनियादी ढांचे को ग्राम-अंतर्गत अवसंरचना के घटकों के रूप में ट्यूबवेल ड्रिलिंग, सबमर्सिबल पंप, राइजिंग मेन, इलेक्ट्रो-क्लोरिनेटर एवं विद्युत कनेक्शन की आवश्यकता नहीं थी। यद्यपि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि ₹ 13.51 करोड़ की लागत से इन अनावश्यक घटकों को कार्यान्वित किया गया था जैसा कि **तालिका 4.5** में वर्णित है।

[8] धमतरी में घाटुला एवं संकरा तथा महासमुंद में समोदा अछोला।

तालिका 4.5: अनावश्यक घटकों को सम्मिलित करना

(₹ लाख में)

क्र. स.	जिला	बहु ग्राम योजना का नाम	अंतः ग्राम घटकों की राशि						
			ट्यूबवेल	सबमर्सिबल पंप	राइजिंग मेन	इलेक्ट्रो-क्लोरिनेटर	इलेक्ट्रो-क्लोरिनेटर रूम	विद्युत कनेक्शन	योग
1	धमतरी	घाटुला बहु ग्राम योजना	44.00	47.30	245.38	132.30	46.56	47.50	563.04
2		संकरा बहु ग्राम योजना	46.20	49.50	235.22	132.30	46.56	50.90	560.68
3	महासमुंद	समोदा अछोला बहु ग्राम योजना	0.00	0.00	0.00	184.32	42.72	0.00	227.04
योग			**90.20**	**96.80**	**480.60**	**448.92**	**135.84**	**98.40**	**1350.76**

(स्रोतः लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़े एवं लेखापरीक्षा द्वारा संकलित)

इन अनावश्यक घटकों के साथ बहु ग्राम योजना का क्रियान्वयन, बहु ग्राम योजना के चालू होने के बाद निष्क्रिय हो जाएगा।

इसे इंगित किए जाने पर, कार्यपालन अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, धमतरी संभाग ने कहा (सितंबर 2024) कि बहु ग्राम योजना की निविदा में विलंब राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन स्तर पर हुई थी। बहु ग्राम योजना के ग्राम-बाह्य अवसंरचना में विलंब जिला जल एवं स्वच्छता मिशन/संभाग कार्यालय के नियंत्रण से बाहर था। इस बीच बहु ग्राम योजनाओं में सम्मिलित गांवों के ग्राम-अंतर्गत कार्य पूरे हो गए थे एवं ग्राम में पेयजल की आपूर्ति की मांग थी। ग्राम के बाहर के कार्यों में विलंब के बावजूद ग्राम-अंतर्गत कार्यों के माध्यम से ग्रामीणों को जल मिल रहा है। कार्यपालन अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, महासमुंद संभाग (सितंबर 2024) ने कहा कि प्रणाली को 2024 तक चालू करने के लिए ग्राम-अंतर्गत में अवसंरचना बुनियादी ढांचे को मंजूरी दी गई थी।

उत्तर इस बात की पुष्टि करता है कि बहु ग्राम योजना से संबंधित गांवों में ग्राम-अंतर्गत अवसंरचना को बनाने के लिए ट्यूब वेल, पंप एवं इलेक्ट्रो-क्लोरिनेटर जैसे अनुचित घटकों के लिए अतिरिक्त धन की आवश्यकता थी, जो बहु ग्राम योजना के क्रियान्वयन के बाद किसी काम का नहीं होगा।

4.4 कार्यान्वयन सहायता एजेन्सियाँ

जल जीवन मिशन परिचालन दिशानिर्देश ने अपने उद्देश्यों के सफल कार्यान्वयन एवं स्थिरता को सुनिश्चित करने के लिए कार्यान्वयन सहायता एजेंसियों के महत्व पर जोर दिया। कार्यान्वयन सहायता एजेंसी जल संसाधनों के प्रबंधन के लिए अपनी भागीदारी एवं क्षमता को सुदृढ़ करने के लिए समुदायों के साथ मिलकर काम करते हैं, बेसलाइन सर्वेक्षण, जल संसाधन मानचित्रण, बुनियादी ढांचे की जरूरतों की पहचान करके ग्राम कार्य योजना के निर्माण में ग्राम पंचायत का सहयोग करते हैं, ग्राम पंचायत को गांवों में जल जीवन मिशन के अंगीकरण हेतु संकल्प पारित

करने में मदद करते हैं एवं सामुदायिक अंशदान के निर्धारण तथा बैंक खाते में इसके जमा किये जाने के निर्धारण हेतु सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन गतिविधियां करते हैं।

कार्यान्वयन सहायता एजेंसी का विलम्ब से नियुक्ति: नमूना जांच किए गए जिलों में, यह पाया गया कि कार्यान्वयन सहायता एजेंसी की नियुक्त ग्राम कार्य योजना बनने (अक्टूबर 2020 से दिसम्बर 2020 के मध्य) के एक वर्ष से दो वर्ष पश्चात (सितम्बर 2021 से मार्च 2023 के मध्य) की गई थी। कार्यान्वयन सहायता एजेंसी की विलम्ब से नियुक्ति के परिणामस्वरूप कार्यान्वयन सहायता एजेंसी का ग्राम कार्ययोजना तैयार किये जाने में कोई भागीदारी नहीं हुई एवं इसके परिणामस्वरूप जल जीवन मिशन के तहत अपेक्षित ग्राम पंचायत संकल्प के समय 80 प्रतिशत समुदाय की उपस्थिति के आश्वासन के साथ-साथ पूंजीगत-व्यय एवं संचालन-व्यय अंशदान पर ग्रामीणों से सहमति प्राप्त नहीं हुई । परिणामस्वरूप, पूंजीगत व्यय के लिए सामुदायिक अंशदान एकत्र नहीं किया जा सका था।

इसे इंगित किये जाने पर, शासन ने उत्तर दिया (मई 2025) कि संबंधित जिलों से जानकारी एकत्र की जा रही थी।

सहायक गतिविधियों में कमी: जल जीवन मिशन का उद्देश्य विभिन्न हितधारकों विशेष रूप से स्थानीय समुदायों की क्षमता का निर्माण करना है, जो ग्राम में जलापूर्ति प्रणालियों के स्वामित्व, प्रबंधन, संचालन एवं अनुरक्षण के लिए जिम्मेदार है। अतः सूचना शिक्षा एवं संचार गतिविधियाँ जैसे सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन, पारस्परिक संचार, व्यवहार परिवर्तन संचार से संबंधित गतिविधियाँ जल जीवन मिशन की सफलता की कुंजी है।

चयनित जिलों में अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान, यह देखा गया कि सूचना शिक्षा एवं संचार/ व्यवहार परिवर्तन संचार/पारस्परिक संचार गतिविधियों, कौशल गतिविधियों एवं क्षमता निर्माण गतिविधियों में **तालिका 4.6** में दर्शाए गए अनुसार महत्वपूर्ण कमियाँ थी।

तालिका 4.6: विभिन्न सहायक गतिविधियों का लक्ष्य एवं उपलब्धि

क्र. सं.	जिला	सूचना, शिक्षा और संचार/ व्यवहार परिवर्तन संचार/ पारस्परिक संचार			कौशल गतिविधि			क्षमता निर्माण		
		लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशत	लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशत	लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशत
1	धमतरी	9,207	3,194	35	1,674	664	40	2,180	1,671	77
2	गौरेला-पेंड्रा-मरवाही	8,014	55	0.69	1,257	110	9	1,033	59	6
3	कोंडागांव	10,712	4,746	44	1,238	157	13	647	280	43
4	कोरबा	21,154	6,425	30	1,412	300	21	0	0	0
5	महासमुंद	24,161	0	0	7,946	3,525	44	3,201	236	7
6	सरगुजा	2,166	1,142	53	753	213	28	742	257	35
कुल		**75,414**	**15,562**	**21**	**14,280**	**4,969**	**34**	**7,803**	**2,503**	**32**

(स्रोतः संबंधित जिला लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग सभागों द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़े एवं लेखापरीक्षा द्वारा संकलित)

- सूचना शिक्षा एवं संचार/व्यवहार परिवर्तन संचार/पारस्परिक संचार गतिविधियों के लक्ष्यों के विरुद्ध सम्बंधित उपलब्धि क्रमशः केवल 21 प्रतिशत, 34 प्रतिशत एवं 32 प्रतिशत थी एवं महासमुंद जिले में कोई सूचना शिक्षा एवं संचार गतिविधियां नहीं की गई थीं।
- महासमुंद जिला समुदाय के चिन्हित लोगों को निर्माण, पलम्बिंग, बिजली आदि के क्षेत्र प्रशिक्षित करने के लिए 44 प्रतिशत की प्रगति के साथ शीर्ष पर था जबकि गौरेला-पेंड्रा-मरवाही में प्रगति केवल 9 प्रतिशत थी।
- संस्थागत क्षमता में सुधार के लिए धमतरी जिले में विभिन्न स्तर के अधिकारियों का प्रशिक्षण 77 प्रतिशत की उपलब्धि के साथ संतोषजनक था, इसके विपरीत, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिला इस गतिविधि में भी पिछड़ रहा था एवं कोरबा में कोई क्षमता निर्माण गतिविधियां आयोजित नहीं की गई थीं।

इस बारे में इंगित किये जाने पर, शासन ने उत्तर दिया (मई 2025) कि संबंधित जिलों से जानकारी एकत्र की जा रही थी।

4.5 तृतीय-पक्ष निरीक्षण एजेन्सियाँ

जल जीवन मिशन के अंतर्गत तृतीय-पक्ष निरीक्षण एजेंसियों की भूमिका कार्य एवं सामग्री की गुणवत्ता, विनिर्देशों एवं समयसीमा का पालन एवं स्वतंत्र मूल्यांकन के माध्यम से बुनियादी ढांचे की स्थिरता को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। जल जीवन मिशन परिचालन दिशानिर्देश के अनुसार, तृतीय-पक्ष निरीक्षण एजेंसियों के कर्तव्य क्षेत्र में उपयोग की जाने वाली सामग्रियों की गुणवत्ता की नमूना जांच करना, दावा किए गए भुगतान के लिए बिल के अनुसार कार्यान्वित कार्यों की मात्रा एवं गुणवत्ता को सत्यापित करना, कार्यान्वित कार्य के लिए भुगतान पर सिफारिशें करना, परीक्षण के दौरान ग्राम के मूलभूत ढांचे के कामकाज की जांच आदि सम्मिलित है।

चयनित जिलों में अभिलेखों की जांच के दौरान पाया गया कि प्रारम्भ में राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा (नवंबर 2021) 13 तृतीय-पक्ष निरीक्षण एजेंसियों को सूचीबद्ध किया गया था। तृतीय-पक्ष निरीक्षण एजेंसियों को जिला जल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा भी सूचीबद्ध किया गया था। लेखापरीक्षा ने पाया कि वर्ष 2019-21 के दौरान जल जीवन मिशन कार्यों को तृतीय-पक्ष निरीक्षण की नियुक्ति के बिना ही कार्यान्वित किया गया था।

कार्यादेश एवं रूचि की अभिव्यक्ति के अनुसार, तृतीय-पक्ष निरीक्षण एजेंसियों को ग्रामीण जलापूर्ति योजना के तहत कार्य का निरीक्षण करना था। तृतीय-पक्ष निरीक्षण के अनुबंध एवं कार्य योजना के तहत, प्रस्तावित गतिविधियों सहित तृतीय-पक्ष निरीक्षण एजेंसियों के काम की निगरानी जिला जल एवं स्वच्छता मिशन के मार्गदर्शन में कार्यपालन अभियंता द्वारा की जानी थी। नमूना जांच किये गए चार जिलों में, लेखापरीक्षा ने पाया कि तृतीय-पक्ष निरीक्षण हेतु आवंटित किये गए ग्राम हेतु संपूर्ण योजना चक्र के लिए चरण-वार आउटपुट कार्य योजना तैयार नहीं की गई थी, जो दर्शाता है कि जिला जल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा तृतीय-पक्ष निरीक्षण एजेंसियों के काम की निगरानी नहीं किया गया था। तृतीय-पक्ष निरीक्षण एजेंसियां केवल सिविल ठेकेदारों द्वारा चल

देयक जमा करने के समय ही परीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहे थे, तथापि,निर्माण के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री की परीक्षण रिपोर्ट, निर्माण के लिए प्रयुक्त निर्माण सामग्री, अपनाए गए सुरक्षा उपायों के नमूना जांच के संबंध में जिला जल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा लेखापरीक्षा को अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए गए थे। अतः, यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि कार्य के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता एवं मात्रा की जांच तृतीय-पक्ष निरीक्षण एजेंसियों द्वारा की गई थी अथवा नहीं। लेखापरीक्षा में पाया गया कि पांच चयनित जिलों द्वारा तृतीय-पक्ष निरीक्षण एजेंसियों को भुगतान के लिए ₹ दो करोड़ का व्यय किया गया था।

इस प्रकार, विभिन्न चरणों में गुणवत्ता एवं मात्रा सुनिश्चित करने के लिए तृतीय-पक्ष निरीक्षण एजेंसियां की नियुक्ति का उदेश्य पूरा नहीं हुआ।

इस बारे में बताए जाने पर, शासन ने उत्तर दिया (मई 2025) कि संबंधित जिलों से जानकारी एकत्र की जा रही थी।

4.6 निगरानी

जल जीवन मिशन परिचालन दिशानिर्देशों के अनुसार, एक ग्राम में सभी ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन प्रावधान करने के बाद, योजना को लागू करने वाले विभाग को ग्राम पंचायत से एक पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करेगा एवं फिर मार्च 2024 तक जल जीवन मिशन -एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली पर ग्राम को 'हर घर जल' के रूप में चिह्नित करेगा। छत्तीसगढ़ में 19,656 ग्राम थे एवं इन गांवों के सभी परिवारों को जल जीवन मिशन अंतर्गत कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन प्रदान किया जाना था। 100 प्रतिशत 'हर घर जल' के लक्ष्य के विरुद्ध, प्रमाणित 'हर घर जल' गांवों का उपलब्धि राज्य में 3.64 प्रतिशत (716 गांव) थी (मार्च 2024) तथा छह चयनित जिलों में यह उपलब्धि 4.31 प्रतिशत थी जैसा कि **तालिका 4.7** में दर्शाया गया है।

तालिका 4.7: मार्च 2024 को 'हर घर जल' प्रमाणित गावों की स्थिति

जिले का नाम	कुल गाँवों की सँख्या	जिला जल एवं स्वास्थ्य समिति द्वारा 'हर घर जल' सूचित गाँवों की सँख्या	ग्राम जल एवं स्वास्थ्य समिति द्वारा 'हर घर जल' प्रमाणित गाँवों की सँख्या	सूचित गांवों के विरुद्ध प्रमाणित गांवों का प्रतिशत	लक्षित गांवों के विरुद्ध प्रमाणित गांवों का प्रतिशत
धमतरी	622	558	91	16	14.63
गौरेला-पेंड्रा-मरवाही	222	7	2	29	0.90
कोंडागांव	571	44	14	32	2.45
कोरबा	703	28	11	39	1.56
महासमुंद	1,119	134	39	29	3.49
सरगुजा	569	10	7	70	1.23
योग	**3,806**	**781**	**164**	**21**	**4.31**
राज्य का कुल योग	**19,656**	**2239**	**716**	**31.98**	**3.64**

(स्रोतः 01.04.2024 तक जल जीवन मिशन-एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली आंकड़ो के अनुसार)

इस प्रकार, मार्च 2024 की स्थिति में 100 प्रतिशत लक्ष्य के विरुद्ध पांच प्रतिशत से कम गाँवों को ही हर घर जल प्रमाणित हो पाये।

शासन ने उत्तर दिया (मई 2025) कि भारत सरकार ने लक्ष्य तिथि को 2028 तक बढ़ा दिया है एवं सभी लक्ष्य नई समय-सीमा के अनुसार प्राप्त किए जाएंगे।

4.6.1 हर घर जल प्रमाणित गाँवों का भौतिक सत्यापन

एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली में प्रतिवेदित की गई कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन की कार्यक्षमता का पता लगाने के लिए, लेखापरीक्षा द्वारा 24 चयनित योजनाओं का संयुक्त भौतिक निरीक्षण किया गया था। इनमें से दो गांवों, महासमुंद जिले के ग्राम-भिथीडीह एवं धमतरी जिले के ग्राम-भिड़ावर को 'हर घर जल' के रूप में प्रमाणित किया गया था।

i) 'हर घर जल' प्रमाणित ग्राम -भिथीडीह: विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन के अनुसार, 381 परिवारों में से 15 परिवारों के पास मौजूदा कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन उपलब्ध था एवं शेष 366 परिवारों को जल जीवन मिशन के तहत कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करने की योजना थी। लेखापरीक्षा में पाया गया कि ग्राम-भिथीडीह को आवश्यक 366 में से केवल 214 कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन के निर्माण के बाद 'हर घर जल' के रूप में प्रमाणित किया गया था (अक्टूबर 2023)। एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली पोर्टल के आंकड़ों के अनुसार ग्राम में 230 परिवारों के साथ चार बस्तियां थीं, यद्यपि, ग्राम कार्य योजना में तीन बस्तियों में 249 परिवारों (334-85) के कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन के लिए योजना बनाई गई थी। संयुक्त भौतिक निरीक्षण के दौरान, यह देखा गया कि ग्राम की दो बस्तियों यानी कमारडेरा एवं विद्यानगर के 105 परिवारों को जल जीवन मिशन के दायरे में नहीं लिया गया थे। बिना कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन एवं पाइपलाइन की वितरण शाखा से बिना जुड़े कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन एवं 'हर घर जल' के रूप में प्रमाणित भिथीडीह गाँव की बस्ती की तस्वीरें नीचे दर्शायी गई है-

चित्र 4.1: वितरण लाईन के बिना निर्मित कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन एवं बिना कनेक्शन के खुला पड़ा कम्पोजिट पाइप (ग्राम भिथीडीह बस्ती कमारडेरा)

चित्र 4.2: वितरण लाईन के बिना निर्मित कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन एवं बिना कनेक्शन के खुला पड़ा कम्पोजिट पाइप (ग्राम भिथीडीह बस्ती कमारडेरा)

चित्र 4.3: वितरण लाइन नहीं पहुंची एवं कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन का निर्माण नहीं किया गया (ग्राम भिथीडीह बस्ती विद्यानगर)

चित्र 4.4: वितरण लाइन नहीं पहुंची एवं कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन का निर्माण नहीं किया गया (ग्राम भिथीडीह बस्ती विद्यानगर)

ii) 'हर घर जल' प्रमाणित ग्राम-भिड़ावर: इसी तरह, संयुक्त भौतिक निरीक्षण के दौरान 20 परिवारों का निरीक्षण किया गया था एवं यह पाया गया कि लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा जलापूर्ति प्रणाली की वितरण लाइन के साथ स्टैंडपोस्ट को जोड़े बिना ही ग्राम को 'हर घर जल' के रूप में प्रमाणित किया गया था, जैसा कि नीचे तस्वीरों में दिखाया गया है:

चित्र 4.5: ग्राम भिड़ावर में कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन को कम्पोजिट पाइप के साथ वितरण लाइन से जुड़े नहीं होने को, प्रदर्शित करता चित्र

इस प्रकार, सभी बस्तियों एवं परिवारों को जल जीवन मिशन अंतर्गत आच्छादित नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, योजना के तहत दर्शाये गए आच्छादित गांवों को कार्य पूरा बिना एवं प्रत्येक परिवारों को कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन प्रदान किए बिना ही 'हर घर जल' के रूप में प्रतिवेदित एवं प्रमाणित कर दिया गया था, परिणामस्वरूप ग्राम की आबादी मिशन के लाभों से वंचित रह गई।

निर्गम बैठक (मई 2025) में सचिव, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने कहा कि मामले की पहले ही जांच की जा चुकी है एवं जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है।

4.6.2 अकार्यशील नल कनेक्शनों को कार्यशील घोषित कर प्रगति को कृत्रिम रूप से बढ़ाना

जल जीवन मिशन परिचालन दिशानिर्देश में प्रावधान है कि मिशन की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति को प्रदर्शित करने हेतु राष्ट्रीय मिशन द्वारा एक एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली पोर्टल बनाया जायेगा एवं एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली पोर्टल पर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग आकड़ों की प्रविष्टि करने हेतु उत्तरदायी होगा। विभिन्न परियोजनाओं की भौतिक प्रगति, परिसंपत्तियों की जियो-टैगिंग, परियोजनाओं पर किए गए व्यय, परियोजनाओं की कार्यक्षमता की स्थिति के संबंध में राज्यों के आकड़ों को एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली पोर्टल पर दर्ज किया जाएगा एवं सार्वजनिक डोमेन में रखा जायेगा जिसके माध्यम से अंतिम उपयोगकर्ताओं एवं विभिन्न संस्थागत संरचनाओं द्वारा सामाजिक लेखापरीक्षा एवं निगरानी की संभावना बनेगी।

नल कनेक्शन की कार्यशीलता को ग्रामीण परिवारों को नियमित रूप से पर्याप्त मात्रा में निर्धारित गुणवत्ता में नल से जल प्रदाय करने के रूप में परिभाषित किया गया है। जिला स्तर पर जिला जल एवं स्वच्छता मिशन, ग्राम पंचायत से परिचालन प्रमाण पत्र प्राप्त होने के बाद एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली पोर्टल पर कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन अपलोड करने के लिए जिम्मेदार है। एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली पोर्टल के अनुसार, मार्च 2024 तक छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में 38.97 लाख कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन प्रदान किये गये थे। घरेलू नल कनेक्शन की कार्यशीलता की स्थिति **तालिका 4.8** में दर्शायी गई है।

तालिका 4.8: घरेलू नल कनेक्शन की कार्यशीलता की स्थिति

जनवरी 2025 तक की स्थिति	एकीकृत बंधन सूचना प्रणाली के अनुसार कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन की प्रगति	कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन की अकार्यशीलता का कारण					वास्तविक कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन
		स्रोत की कमी के कारण स्रोत सुखा	अपूर्ण ओवरहेड टैंक	बिजली कनेक्शन के अभाव में	सौर प्रणाली स्थापित नहीं होना	योग	
	40,10,825	7,86,566	2,91,471	1,56,433	96,710	13,31,180	26,79,645

(स्रोतः विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़े)

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि यद्यपि एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली पोर्टल पर दिखाई गई कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन की प्रगति 40.11 लाख (जनवरी 2025) थी, तथापि अधूरे ओवरहेड टैंक, सुखे स्रोत, जल स्रोत/विद्युत कनेक्शन की कमी, सौर पंप की स्थापना न होने आदि के कारण कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन अकार्यशील थे। इस प्रकार, एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली पोर्टल पर कार्यशील घोषित 40.11 लाख कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन में से 26.80 लाख (67 प्रतिशत) कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन को गलत रूप से कार्यात्मक बताया गया था।

एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली पोर्टल पर प्रतिवेदित कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन की कार्यशीलता सुनिश्चित करने हेतु, 475 लाभार्थियों को आच्छादित करने वाली 24 चयनित योजनाओं का संयुक्त भौतिक निरीक्षण लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के संभागीय अधिकारियों

के साथ लेखापरीक्षा दल द्वारा किया गया था। संयुक्त भौतिक निरीक्षण के दौरान पाये गए अवलोकनों पर नीचे चर्चा की गई है:

- लेखापरीक्षा ने पाया कि 475 कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन जिन्हें एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली पोर्टल पर कार्यशील दिखाया गया था, में से 303 कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन सुखे स्त्रोत, योजना के प्रगतिरत होने, अपूर्ण ओवरहेड टैंक, बिजली कनेक्शन की अनुपलब्धता एवं ग्राम पंचायतों द्वारा योजना को लेने से इनकार किये जाने जैसे कारणों से अकार्यशील (64 प्रतिशत) पाया गया था।
- लेखापरीक्षा ने पाया कि नमूना जांच की गई 35 योजनाओं में से 21 एकल ग्राम योजनाओं/रेट्रो योजनाओं में, नए ओवरहेड टैंक के निर्माण का प्रावधान था। इनमें से 15 योजनाओं में, ओवरहेड टैंक के निर्माण का कार्य पूर्ण नहीं हुआ था एवं उन ओवरहेड टैंक से जुड़े 1,648 घरेलू नल कनेक्शन को एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली पोर्टल पर **(परिशिष्ट 4.3)** कार्यशील के रूप में दिखाया गया था। कुछ निर्माणाधीन ओवरहेड टैंक एवं संबंधित अकार्यशील घरेलू नल कनेक्शन की तस्वीरें नीचे प्रदर्शित की गई हैं:

निर्माणाधीन ओवरहेड टैंक एवं अकार्यशील घरेलू नल कनेक्शन दिखाने वाली तस्वीरें:

चित्र 4.6: ग्राम बंजोड़ा में अपूर्ण ओवरहेड टैंक, जिलाः कोंडागांव

चित्र 4.7: ग्राम बंजोड़ा में अकार्यशील घरेलू नल कनेक्शन, जिलाः कोंडागांव

चित्र 4.8: ग्राम पंडरीपानी (पचरी) में अपूर्ण ओवरहेड टैंक, जिलाः महासमुंद

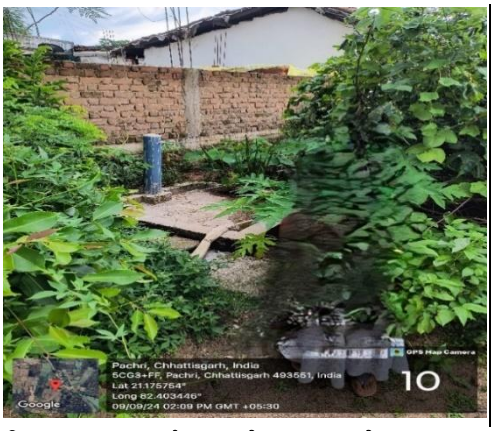

चित्र 4.9: अकार्यशील घरेलू नल कनेक्शन ग्राम पंडरीपानी (पचरी), जिलाः महासमुंद

चित्र 4.10: ग्राम पडरिया में अपूर्ण ओवरहेड टैंक, जिलाः गौरेला-पेंड्रा-मरवाही

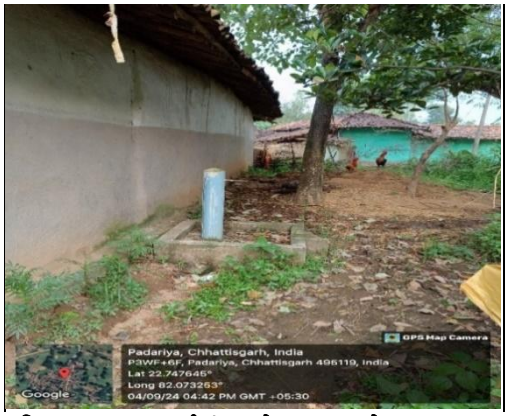

चित्र 4.11: अकार्यशील घरेलू नल कनेक्शनए ग्राम पडरिया जिलाः गौरेला-पेंड्रा-मरवाही

इस प्रकार, कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन की प्रगति को बढ़ाकर बताया गया था एवं कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन का सिविल निर्माण कार्य इसकी कार्यशीलता को सुनिश्चित किये बिना पूरा किया गया।

निर्गम बैठक (मई 2025) में, सचिव, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने कहा कि अधिकांश योजनायें भूजल स्रोतों पर आधारित थीं। विभाग नल कनेक्शन को क्रियाशील बनाने के लिए सभी विकल्पों की खोज कर रहा है। सचिव द्वारा दिया गया उत्तर लेखापरीक्षा के अवलोकन के अनुरूप है कि कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन की प्रगति वास्तविक क्रियाशीलता का पता लगाने से पहले कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन को क्रियाशील घोषित किया गया था।